

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, राँची (म.प्र.)

संसाधन-एन.एन.एन.टी./2017-18/153

दिनांक-14-10-18

अवधि

विश्वविद्यालय विभाग विभागाध्यक्ष जी द्वारा 2017-18 के लिए अतिरिक्त विद्वानों के आमंत्रण हेतु Walk-in-interview की व्यवस्था की जा रही है। अतिरिक्त विद्वानों की आवेदन पर अतिरिक्त विद्वानों की आवेदन सूची विभागद्वारा घोषित की जाती है। अतिरिक्त विद्वानों के आवेदन विभागद्वारा प्रकाशित आवेदन विभागद्वारा प्रकाशित आवेदन सूची के अनुसार ही आवेदन करने के लिए है। अतिरिक्त विद्वानों के आवेदन पर आवेदनसूचीद्वारा इस सूची के अतिरिक्त विद्वानों को आमंत्रित कर लगी है।


एन.एन.एन.टी. साइंसो जॉबपोस्ट	1. टीचर/सी.एन.टी.
एन.एन.एन.टी. साइंसो/एन.एन.एन.टी.	1. डॉ. किशोर कुमार 2. सी.एन.टी.
एन.एन.टी. जी.ए.	1. डॉ. जयदीप सिंह 2. टी.एन.टी.
बी.बी.ए. ट्रेनिंग	1. टी.एन.टी. 2. सी.एन.टी.
बी.ए.एन.एन.टी. बी.एन.एन.एन.टी.	1. विभागाध्यक्ष पोस्ट 2. टी.एन.टी. सी.एन.टी. 3. टी.एन.टी.

1. यह एम्प्लॉयमेंट उत्तर विभागों के उन विद्वानों के लिए प्राथमिक रूप से Walk-in-interview के माध्यम से किया गया है जहाँ पर इस एम्प्लॉयमेंट से अतिरिक्त विद्वानों का आमंत्रण उस वक़्त में ही किया जावेगा जबकि उक्त विभाग/विषय में पूर्ण रूप 2017-18 में रिजल्टिंग प्रोफेसर अपनी सेवाएँ नहीं दे रहे होंगे।
2. यह एम्प्लॉयमेंट उत्तर विभागों के उन विद्वानों के लिए प्राथमिक रूप से Walk-in-interview के माध्यम से किया गया है जहाँ पर इस एम्प्लॉयमेंट से अतिरिक्त विद्वानों का आमंत्रण उस वक़्त में ही किया जावेगा जबकि उक्त विभाग/विषय में पूर्ण रूप 2017-18 में हुए अतिरिक्त विद्वानों के आमंत्रण हेतु प्रथम के फैसले के माध्यम से आमंत्रित अतिरिक्त विद्वान विभागीय कार्यों से अपने अतिरिक्त विभाग के आमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे होंगे।
3. उक्त दोनो बिन्दुओं के अतिरिक्त श्री विश्वविद्यालय द्वारा एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया से संबंधित अतिरिक्त विद्वानों के फैसले में से आमंत्रण की सम्पूर्ण कार्यवाही में सुझावे तथा न सुझावे के हितों पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इस संबंध में एम्प्लॉयमेंट (परीक्षा सूची में प्रकाशित) अतिरिक्त

विद्यार्थी द्वारा आमंत्रण को लिखे किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव उत्पन्न करना विधि विपरीत होगा।


4. अतिरिक्त विद्यार्थी का आमंत्रण सत्र 2018-19 के लिये है तथा उन्हें प्रतिदिन अधिकतम 03 कालखण्ड के लिये आमंत्रित किया जा सकेगा।
5. अतिरिक्त विद्यार्थी का नालदेय पूर्ण सत्र 2017-18 एवं वर्तमान में प्रचलित वट-प्रायोजन के अनुसार देय होगा, परन्तु नवरात निषेध द्वारा इस संबंध में यदि कोई परिवर्तन होता है तो यह प्रभावहीन होगा।
6. यह आमंत्रण पूर्ण रूप से अस्वाधी है तथा इसके आशय पर विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
7. आमंत्रण किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

आदेशानुसार


कुलसचिव (स्वधित्त)

प्रतिलिपि सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संचालक, स्वधित्तीय पाठ्यक्रम अ०प्र०सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/शैक्षणिक विभाग, प्रभाठी आचार्य, स्वधित्तीय पाठ्यक्रम तथा
3. रिशरुम हुंघार्ज , कम्प्यूटर एप्लिकेशन विभाग, अ०प्र०सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करावे जाने हेतु।
4. वित्त नियंत्रक, अ०प्र०सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. सहायक संचालक, आचारीय विधि संपरीक्षा, अ०प्र०सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के लिज सहायक।
7. संबंधित नरती।


संचालक, स्वधित्तीय पाठ्यक्रम
04-10-18